

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी, रायबरेली, इलाहाबाद, बाराबंकी, कन्नौज, झांसी, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, आगरा,
औरैया, हमीरपुर, गाजीपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, फतेहपुर, मीरजापुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद,
हरदोई, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमेठी एवं श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016 द्वारा बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली तथा लू-प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किया गया है। विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारीगणों द्वारा आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली आदि हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 7,48,00,000/- (रूपये सात करोड़ अड़तालिस लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं०	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	वाराणसी पत्र संख्या-1386, 1406, 1405 दिनांक 31.05.2016 एवं 20.06.2016	25.00
2	रायबरेली पत्र संख्या-1010, 1012, 1039 दिनांक 25.05.2016, 28.05.2016, 16.06.2016	50.00
3	इलाहाबाद पत्र संख्या-1215, 1130 दिनांक 25.05.2016, 12.05.2016	50.00
4	बाराबंकी पत्र संख्या-2199 दिनांक 30.05.2016	50.00
5	कन्नौज पत्र संख्या-1877 दिनांक 27.05.2016	50.00
6	झांसी पत्र संख्या-752, 740 दिनांक 25.05.2016, 24.05.2016	04.00

7	अम्बेडकरनगर पत्र संख्या-977 दिनांक 10.05.2016	25.00
8	अलीगढ़ पत्र संख्या-912 दिनांक 11.05.2016	25.00
9	आगरा पत्र संख्या-576 दिनांक 17.05.2016	40.00
10	औरैया पत्र संख्या-599, 619, 644 दिनांक 25.05.2016, 01.06.2016, 09.06.2016	40.00
11	हमीरपुर पत्र संख्या-2226, 2429 दिनांक 25.05.2016, 08.06.2016	25.00
12	गाजीपुर पत्र संख्या-1014, 1114 दिनांक 28.05.2016, 18.06.2016	60.00
13	कानपुर देहात पत्र संख्या-153 दिनांक 26.05.2016	50.00
14	जौनपुर पत्र संख्या-54 दिनांक-26.05.2016	50.00
15	फतेहपुर पत्र संख्या-2077 एवं 2078 दिनांक-17.06.2016	40.00
16	मीरजापुर पत्र संख्या-1352 दिनांक-08.06.2016	30.00
17	आजमगढ़ पत्र संख्या-1347, दिनांक-10.06.2016	50.00
18	फिरोजाबाद पत्र संख्या-1231 दिनांक-13.06.2016	10.00
19	हरदोई पत्र संख्या-616, 620, 624 दिनांक-08.06.2016, 09.06.2016, 15.06.2016	20.00
20	बदायूँ पत्र संख्या-28(1-2) दिनांक-10.06.2016	15.00
21	फर्रुखाबाद पत्र संख्या-274 दिनांक-17.06.2016	15.00
22	अमेठी पत्र संख्या-1186	20.00

	दिनांक-15.06.2016	
23	श्रावस्ती पत्र संख्या-2293, दिनांक-10.06.2016	04.00
	(रूपये सात करोड़ अड़तालिस लाख मात्र)	748.00

2- शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान किये जाने के लिये केवल दैवी आपदा मद से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित कर चेक/ड्राफ्ट/नकद के रूप में नियमानुसार वितरण किया जायेगा।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

- 9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।
- 10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।
- 11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
- 12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अन्निल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- 648 (1)/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, 30प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(मदन मोहन)
अनु सचिव ।